वैश्विक सरकारी कामकाज में हिन्दी

आम आदमी आज भी जब अपने काम के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसे अपने काम के लिए ऐसी भाषा का सामना करना होता है जो उसकी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं है। या तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया अंग्रेजी में है या हिन्दी में। कामकाज के नाम पर जिस हिन्दी को काम में लाया जाता है उसका वास्ता उसके सामान्य जीवन में कहीं नहीं होता है। दोराहे पर खड़ा व्यक्ति न तो अपने अधिकारों को समझ पाता है न ही उसे सरल तरीके से यह पता होता है कि किस काम के लिए कैसे आवेदन किया जाए और कैसे काम को पूरा करने के लिए नियम व शर्तों को पूरा किया जाए। आज जब हर ओर कम्प्यूटर जैसी प्रविधि की बात की जाने लगी है ऐसे में तो उसकी कठिनाई निरंतर बढ़ती ही प्रतीत होती है। कम्प्यूटर युग में हिन्दी को उपर्युक्त स्थान दिलाने के लिए हिन्दी प्रेमियों से निवेदन है कि इस विषय पर गम्भीर चर्चा तो होनी ही चाहिए और जो निष्कर्ष निकले उस पर कार्यान्वयन भी होना चाहिए। भाषा की महत्ता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हिन्दी के विभिन्न पक्षों को विकसित किया जाए तो न केवल भाषा को पहचान मिलेगी बल्कि हिन्दी के माध्यम से देश की एकता और संप्रभुता का भी विकास होगा।

अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि हिन्दी कठिन भाषा है और उसके शब्द कठिन हैं, आम आदमी से लेकर खास को वे शब्द कठिन लगते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी भाषा सरल या कठिन नहीं होती है। किसी भी शब्द या भाषा से पहना परिचय कठिन ही लगता है। शब्दों के साथ खास बात यह है कि जैसे–जैसे प्रयोग में आने लगते हैं उनका दायरा बढ़ता है तो वे अपने से लगने लगते हैं। सचिवालय, न्यायालय, मंत्रालय जैसे शब्द जब चलन में आए थे तो लगता था कि ऐसे भारी शब्द कैसे चलेंगे पर आज ये लोक व भाषा व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग में आने लगे हैं। सर्वप्रथम हमें हिन्दी को स्वाभिमान के रूप में अपनाना होगा। आज पूरे देश में कविता, कहानी, धारावाहिक, सिनेमा, गीत, गजल के रूप में हिन्दी में सभी को चमकदार पक्ष दिखता हैं पर जब सामान्य बातचीत व प्रयोग की बात होती है फिर अंग्रेजी हावी हो जाती है। ज्ञान–विज्ञान व सरोकार के लिए जब किसी देश की भाषा का विकास किया जाता है तो शुरूआती परिधि में उसमें अनेक कठिनाईयाँ भी होती हैं और प्रयोग में लिए जाने को लेकर विभेद भी उभरते हैं। पर जब व्यापक समाज ठान लेता है और शब्दों से

दोस्ती होनी शुरू हो जाती है तो फिर कुछ ही समय में वह भाषा समाज के लिए अभिमान का कारण बन जाती है। पूरी दुनिया के देश जो विकसित परिधि में हैं वहाँ नाम मात्र के पक्षों को छोड़कर सभी अपनी–अपनी मातृभाषा को जीवन के प्रत्येक सरोकार के लिए प्रयोग में लाते हैं। बात पढ़ने की हो, लोक व्यवहार की हो या नौकरी की हो या कामकाज की भाषा की, प्रत्येक जगह उनका काम निरंतर स्वयं की भाषा (निज भाषा) में चल रहा है। ऐसे में केवल हम अंग्रेजी को ही यदि शिरोमणि मानते रहें तो यह हमारे अवचेतन में छिपी दासता का संकेत है। किसी भी कार्यालय का काम समाज के व्यापक पक्षों से सरोकार रखता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम एक ठोस राष्ट्रीय नीति की बात करें। साथ ही जब वैश्वीकरण के इस युग में अधिकांश कार्य जब कम्प्यूटर पर किया जाने लगा है तो हमें हिन्दी के प्रयोग के लिए निर्माताओं को विवश करना होगा। चीनी जैसी लिपि जो कम्प्यूटर पर प्रयुक्ति की दृष्टि से अत्यंत कठिन हो सकती थी पर वह भी माँग के चलते प्रयोग में लाई जा रही है, बात इच्छाशक्ति की है। जब अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं में कम्प्यूटर प्रयोग को लेकर कोई अव्यवहारिक बात नहीं होती है तो सारा झगड़ा हिन्दी के साथ ही क्यों होता है? प्रश्न केवल निष्ठा का है जिस दिन निर्माता को हिन्दी की ताकत का पता चलेगा तो उसी दिन से इसे लेकर कम्प्यूटर प्रयुक्ति के तमाम झमेले हल हो जाऐंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। दोहरेपन से कोई भी सार्थक परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता है। गाँधी जी जैसे नेताओं ने हिन्दी को भारत के लिए सरोकार और एकता की भाषा माना था। यही वजह रही कि हिन्दी भारत को गुलामी से उबारने में सबसे महत्वूपर्ण हथियार बनी। भाषा का सम्बन्ध एक पूरी परम्परा और विरासत से जुड़ा होता है। हम धीरे–धीरे जीवन के प्रत्येक पक्ष के लिए हिन्दी के विरासत के पक्षों को जुटाएँ तो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को लेकर गति मिलेगी। दूसरे जबभी कार्यालयों के लिए कोई भी आवेदन या कामकाज का तरीका विकसित किया जाए तो उसमें स्थानीय प्रयोगों और परम्पराओं के साथ हिन्दी के व्यापक पक्षों को ध्यान में रखा जाए। जिस दिन आम आदमी को अपनी भाषा की ताकत का अंदाजा हो जाएगा उस दिन प्रयोगों को लेकर भ्राँतियां नहीं उठेंगी।

हिन्दी जन भाषा है, जिस भाषा ने हमें जमींन दी और विचार हेतु स्वतंत्र समाज दिया वह अक्षम या कठिन कैसे हो सकती है। हौलेण्ड जैसा छोटा सा देश वहाँ

के शत–प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं किन्तु जीते अपनी भाषा में हैं। जापान, स्वीडन, फिनलैण्ड, इजराइल जैसे छोटे–छोटे देश जब अपनी मातृभाषा में विकास कर रहे हैं तब उदात्त संस्कृति की विरासत वाला विश्व का विशालतम जनतंत्र क्यों नहीं कर सकता। हमारी भाषा की लिपि देवनागरी सबसे आदर्श वैज्ञानिक भाषा है। इसके वर्णों के नाम भी उच्चारण के अनुरूप हैं साथ ही वर्णमाला का वर्णक्रम भी वैज्ञानिक है। परिपूर्णता इस बात में है कि हम अपने चिंतन को समाज की बड़ी परिधि में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए हम हिन्दी को आधार दें। विरासत से जो शब्द हमें मिले हैं उनके साथ नवीन आवश्यकताओं व परिपाटियों के साथ शब्दों को हिन्दी में मिलाते चलें जिससे वे भी हिन्दी की गंगा में मिलकर गंगा ही बन जाएँ। आज किसी को भी स्टेशन, ट्रक, जीप आदि शब्दों को प्रयुक्त करने में यह नहीं लगता कि यह हिन्दी के नहीं हैं।

हिन्दी के विस्तार में चुनौतियां तो अनेक हैं पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हिन्दी भाषा के सरोकार और स्वाभिमान को गति देनी होगी। क्योंकि अपनी पहचान को स्थापित करने में भाषा का सबसे बड़ा स्थान होता है और हिन्दी इस कर्तव्य को निभाने में सर्व समर्थ है।

डॉ सरला चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी
राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा
जयपुर, राजस्थान।